



कृषि, फसल बीमा और ऋण पर रणनीतिक साझेदारी के लिये समझौता ज्ञापन

प्रलिस के लिये :

PMFBY योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यूनडीपी, आधार सीडगि ।

मेन्स के लिये:

PMFBY योजना और इसके लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) और [संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम \(UNDP\)](#) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं ।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य:

- UNDP केंद्र की महत्वाकांक्षी [प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना \(पीएमएफबीवाई\)](#) और [किसान क्रेडिट कार्ड योजना](#) के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा ।
- समझौता ज्ञापन के तहत **UNDP संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन** के लिये कृषि मंत्रालय का समर्थन करने हेतु प्रणाली में अपने वैश्विक अनुभवों से अर्जति विशेषज्ञता का उपयोग करेगा ।

PMFBY योजना:

परिचय:

- यह योजना किसानों को **फसल की वफिलता (खराब होने) की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर** प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है ।
- अधिसूचित फसलों हेतु फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाते में ऋण लेने वाले किसानों के लिये इस योजना को अनिवार्य बनाया गया है, जबकि अन्य किसान स्वेच्छा से इस योजना से जुड़ सकते हैं ।

- **दायरा (Scope):** वे सभी खाद्य और तलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणज्यिक/ बागवानी फसलें, जिनके लिये पछिली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं ।
- **बीमा कसित:** इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली नरिधारित बीमा कसित/ प्रीमियम- खरीफ **किसभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5%** है । वार्षिक **वाणज्यिक तथा बागवानी फसलों** के मामले में बीमा कसित **5%** है ।
 - किसानों के हसिसे की प्रीमियम लागत का वहन राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बराबर साझा किया जाता है ।
 - हालाँकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा कसित सब्सिडी का 90% हसिसा वहन किया जाता है ।

कवरेज:

- इस योजना में प्रतविरष औसतन 5.5 करोड़ से अधिक किसान आवेदन शामिल होते हैं ।
- **आधार सीडगि** (इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से आधार को लकि करना) ने किसानों के खातों में सीधे दावा नपिटान में तेज़ी लाने में मदद की है ।
- रबी 2019-20 के मौसम में टडिडी हमले के दौरान राजस्थान राज्य में लगभग 30 करोड़ रुपए का दावा प्रस्तुत किया गया जो एक एक उल्लेखनीय उदाहरण है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0:

- योजना के अधिक कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 के खरीफ सीजन में PMFBY में आवश्यक सुधार किया गया था ।
- इस संशोधित PMFBY को प्रायः PMFBY 2.0 भी कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषताएँ नमिनलखित हैं:
 - **पूरगत: स्वैच्छकिक:** इसके तहत वर्ष 2020 की खरीफ फसल से सभी किसानों के लिये नामांकन 100% स्वैच्छकिक है ।
 - **सीमति केंद्रीय सब्सिडी:** केंद्रीय मंत्रमिडल ने इस योजना के तहत गैर-सचिति क्षेत्रों/फसलों के लिये बीमा कसित की दरों पर केंद्र

सरकार की हस्तिसेदारी को 30% और सचिती क्षेत्रों/फसलों के लिये 25% तक सीमति करने का नरिणय लयिा है ।

- **राज्यों को अधकि स्वायत्तता:** केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों को PMFBY को लागू करने के लिये व्यापक छूट प्रदान की है और साथ ही उन्हें इसमें कसिी भी अतरिकित जोखमि कवर/सुवधिओं का चयन करने का वकिलप भी दयिा है ।
- **आईसीई गतविधियों में नविश:** अब इस योजना के तहत बीमा कंपनयिों द्वारा एकत्र कयि गए कुल प्रीमयिम का 0.5% सूचना, शकिषा और संचार (IEC) गतविधियिों पर खर्च करना होगा ।

PMFBY के तहत तकनीकी का प्रयोग:

- **फसल बीमा एप:**
 - यह कसिानों को आसान नामांकन की सुवधि प्रदान करता है ।
 - कसिी भी घटना के घटति होने के 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसान रपिारटगि की सुवधि ।
- **नवीनतम तकनीकी उपकरण:** फसल के नुकसान का आकलन करने के लिये सैटेलाइट इमेजरी, रमिाट-सेंसगि तकनीक, ड्रोन, कृत्रमि बुद्धमिाता और मशीन लर्नगि का उपयोग कयिा जाता है ।
- **PMFBY पोर्टल:** भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लिये PMFBY पोर्टल की शुरुआत की गई है ।

कसिान क्रेडिट कार्ड योजना:

- **परचिय:**
 - इसे वर्ष 1998 में कसिानों को उनकी खेती के लिये आसान और सरल प्रकरयिाओं के साथ तथा अन्य ज़रूरतों जैसे कबीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि कृषि आदानों की खरीद, आहरण एवं उनकी उत्पादन ज़रूरतों हेतु बैंकगि प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त और समय पर नकद ऋण सहायता प्रदान करने हेतु पेश कयिा गया था ।
 - इस योजना को वर्ष 2004 में कसिानों की नविश ऋण आवश्यकता को संबद्ध और गैर-कृषि गतविधियिों के लिये आगे बढ़ाया गया था ।
- **उद्देश्य:**
 - कसिान क्रेडिट कार्ड नमिनलखिति उद्देश्यों के साथ प्रदान कयिा जाता है:
 - फसलों की खेती के लिये अल्पकालकि ऋण आवश्यकताएँ ।
 - फसल के बाद का खर्च ।
 - कसिान परिवार की खपत आवश्यकताएँ हेतु कृषि-ऋण वपिणन ।
 - कृषि संपत्ति और कृषि से संबंधति गतविधियिों, जैसे- डेयरी पशु, अंतरदेशीय मत्स्य पालन आदि के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी ।
 - कृषि और संबद्ध गतविधियिों जैसे- पंपसेट, स्प्रेयर, डेयरी पशु आदि के लिये नविश ऋण की आवश्यकता ।
- **करयान्वयन एजेंसी:**
 - कसिान क्रेडिट कार्ड योजना वाणजियकि बैंकों, कषेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वतित बैंकों और सहकारी समतियिों द्वारा करयान्वति की जाती है ।
 - कसिानों को कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मनी ट्रक की खरीद और परिवार के लिये घर के नरिमाण तथा गांव में कोल्ड स्टोरेज सुवधि की स्थापना के लिये अल्पकालकि ऋण सहायता नहीं दी जाती है ।

उपलब्धयिाँ:

- आत्मनरिभर भारत पैकेज के हस्तिसे के रूप में सरकार ने कसिान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ कसिानों को दो लाख करोड़ रुपए का साख प्रोत्साहन देने की घोषणा की है ।

प्रश्न. कसिान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतरगत कसिानों को नमिनलखिति में से कसि उद्देश्य के लिये अल्पकालकि ऋण सुवधि प्रदान की जाती है? (2020)

1. कृषि संपत्तियिों के रखरखाव के लिये कार्यशील पूंजी
2. कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मनी ट्रक की खरीद
3. खेतहिर परिवारों की उपभोग आवश्यकताएँ
4. फसल के बाद का खर्च
5. पारवारिकि आवास का नरिमाण एवं ग्राम कोल्ड स्टोरेज सुवधि की स्थापना

नमिनलखिति कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजयि:

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mou-for-strategic-partnership-on-agriculture-crop-insurance-and-credit>

